## पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, नागपूर कार्यालय नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय सर्वसाधारण योजना

**१. योजनेचे नांव :-** अंशत: ठाणबध्द पध्दतीने संगोपन करण्यासाठी 10 शेळ्या / मेंढया व 1 बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी/मेंढी वाटप करणे.

**२. लाभाचे स्वरुप**:- सदर योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना 50 टक्के अनुदानावर 10 शेळ्या / मेंढया व 1 बोकड / नर मेंढा याप्रमाणे लाभार्थींना शेळी/मेंढी वाटप करणे.

## ३. गटाची प्रकल्प किंमत :-

| अ.क्र. | तपशील                            | दर (रक्कम रुपयात)                   | 10 शेळया व 1 बोकड                |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|        |                                  |                                     | (रक्कम रुपयात)                   |
| ०१     | शेळ्या खरेदी                     | ६०००/- प्रती शेळी (उस्मानाबाद /     | रु. ६००००/- (१० शेळ्या)          |
|        |                                  | संगमनेरी जातीच्या पैदासक्षम )       |                                  |
|        |                                  | ४०००/- प्रती शेळी                   |                                  |
|        |                                  | (अन्य स्थानिक जातीच्या पैदासक्षम)   | रु. ४००००/- (१० शेळ्या)          |
| ०२     | बोकड खरेदी                       | ७०००/- 1 बोकड (उस्मानाबाद/          | ७०००/- 1 बोकड                    |
|        |                                  | संगमनेरी जातीच्या पैदासक्षम )       |                                  |
|        |                                  | ५०००/- 1 बोकड                       |                                  |
|        |                                  | (अन्य स्थानिक) जातीच्या पैदासक्षम ) | ५०००/- 1 बोकड                    |
|        |                                  |                                     |                                  |
| ०३     | शेळ्या व बोकडाचा विमा (विमा      | किंमतीच्या 4%                       | रु. २९५७/-                       |
|        | 4% व १०.३२% सेवाकर)              |                                     | (उस्मानाबाद / संगमनेरी जातीसाठी) |
|        |                                  |                                     | रु. १९८६/-                       |
|        |                                  |                                     | (अन्य स्थानिक जातीसाठी)          |
| ०४     | शेळ्यांचे व्यवस्थापन (खाद्य      | लाभार्थीने स्वत: करणे अपेक्षित      | 00                               |
|        | चा-यावरील खर्च )                 |                                     |                                  |
| ०५     | शेळ्यांचा वाडा प्रती शेळी 10 चौ. | ७०/- रु. चौ.फुट प्रमाणे             | १५७५०/-                          |
|        | फुट प्रती करडू 5 चौ.फुट , प्रती  |                                     |                                  |
|        | बोकड १५ चौ.फुट याप्रमाणे         |                                     |                                  |
| ०६     | खाद्याची व पाण्याची भांडी        |                                     | १०००/-                           |
| 00     | आरोग्य सेवा व औषधोपचार           |                                     | ११५०/-                           |
|        | एकुण खर्च                        |                                     | रु. ८७८५७/-                      |
|        |                                  |                                     | (उस्मानाबाद / संगमनेरी जातीसाठी) |
|        |                                  |                                     | रु. ६४८८६/-                      |
|        |                                  |                                     | (अन्य स्थानिक जातीसाठी)          |

## ४. अनुदानाची किंमत :-

| अ.क्र. | प्रवर्ग                | उस्मानाबाद / संगमनेरी<br>जातीसाठी | अन्य स्थानिक जातीसाठी |
|--------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| ०१     | शासकीय अनुदान ५० टक्के | रु. ४३९२९/-                       | रु. ३२४४३/-           |
| ०२     | स्विहस्सा 50 टक्के     | रु. ४३९२९/-                       | रु. ३२४४३/-           |

**५. अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे :-** १. फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य) २. ७/१२ व ८-अ उतारा आणि ग्रामपंचायत नमुना नं.८ (अनिवार्य) ३. अपत्य दाखला (ग्रामपंचायतचा) (अनिवार्य) ४. आधारकार्ड (अनिवार्य) ५.रिहवासी प्रमाणपत्र (अनिवार्य) ६. बँक खाते पासबुक सत्यप्रत (अनिवार्य) ७. रेशकार्ड/कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ देता येईल) (अनिवार्य) ८. बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र ९. वय/जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत १०. शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला ११. रोजगार / स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नांव नोंदणी कार्डची सत्यप्रत १२. अपंग असल्यास दाखला १३. प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायाप्रत.

## ६. प्राधान्यक्रम (उतरत्या क्रमाने) :-

- १. दारिद्य रेषेखालील लाभार्थी
- २. अत्यल्पभुधारक शेतकरी (१ हेक्टर पर्यंतचे भुधारक)
- ३. अल्पभुधारक (1 हेक्टरर ते 2 हेक्टर पर्यंतचे भुधारक)
- ४. सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार / स्वयंरोजगार केंद्रा नांव नोंदणी असलेले)
- ५. महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. १ ते 4 मधील)

टीप: - सदर योजने मध्ये लाभार्थी निवड ही ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत असल्यामुळे योजने संबंधी संकेतस्थळाचे माहितीकरिता आपल्या पंचायत समितीतील कार्यरत पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेशी संपर्कात रहावे.